सः–भा.ति.सी.पु./चतुर्थ वाहिनी/स्थापना–2/मिथिलेश कुमार राजभर अनुपस्थित पत्रा./2024– 222

कार्यालय सेनानी, चतुर्थ वाहिनी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
पोस्ट–दिरांग, जिला–वेस्ट कामेंग, अरूणाचल प्रदेश–790101

दिनांकः– 08/04/24

//नोटिस//

आप {रोल नंबर–4410130692 कांस्टेबल/जीडी (रिकरूट) मिथिलेश कुमार राजभर, सुपुत्र–श्री हीरा लाल राजभर, गांव–चाटापट्टी मकूम, पत्रालय–मकूम, जिला–तिनसुकिया, असम–786170} को इस नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि आपको भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल/जीडी के पद पर चयनित किये जाने के फलस्वरूप आप आधार प्रशिक्षण हेतु दिनांक 25.09.2023 को रिकरूट ट्रेनिंग सेंटर, किमिन (अरूणाचल प्रदेश) रिपोर्ट किए थे। आप दिनांक 01.10.2023 (पूर्वा.) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति व पूर्व सूचना के रिकरूट ट्रेनिंग सेंटर, किमिन कैम्प परिसर, जिला–पापुमपारे (अरूणाचल प्रदेश) से अनपुस्थित चल रहे है, जो कि भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम–1992 की धारा 21(क) के तहत दण्डनीय अपराध है। आपको बार–बार पंजीकृत डाक से पत्राचार करने/स्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी आप न तो स्वयं ड्यूटी पर हाजिर हुए है और ना ही आपने इन पत्राचारो के एवज में कोई लिखित पत्राचार/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। आपके डियूटी से अनुपस्थित रहने के कारणों का पता लगाने के लिए भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम–1992 की धारा 74(1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार रिकरूट ट्रेनिंग सेंटर, किमिन के आदेश संख्या–2065–66 दिनांक 17.11.2023 के तहत न्यायिक जॉच समिति का गठन किया गया था। न्यायिक जॉच समिति की निष्कर्ष एवं संस्तुति के आधार पर भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम–1992 की धारा 74(2) में दिए गए प्रावधानुसार आपको चतुर्थ वाहिनी भा.ति.सी.पु. बल के आदेश संख्या–594 दिनांक 04.03.2024 के तहत दिनांक 01.10.2023 से इस बल से ''**भगौड़ा**'' घोषित किया गया है।

2. अतः आप रोल नंबर–4410130692 कांस्टेबल/जीडी (रिकरूट) मिथिलेश कुमार राजभर, सुपुत्र–श्री हीरा लाल राजभर को इस नोटिस के माध्यम से पुनः सूचित किया जाता है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर रिकरूट ट्रेनिंग सेंटर भा.ति.सी.पु. बल, पोस्ट–किमिन, जिला–पापुमपारे (अरूणाचल प्रदेश) अथवा चतुर्थ वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस बल, पोस्ट–दिरांग, जिला–वेस्ट कामेंग (अरूणाचल प्रदेश) में अपनी ड्यूटी हेतु आमद दें। यदि आप दिए गए समय में ड्यूटी पर आमद देने में असमर्थ रहते है तो भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल नियमावली–1994 के नियम 17 पठित नियम 20 के अनुसार आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

8/4/24

कृते सेनानी
चतुर्थ वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस बल

CBC 19112/11/0035/2425